15-6-16 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का कथन है कि ग्राम पं० सिराणा द्वारा उनके पिता की मृत्यु पर उनके बड़े भाई बाबूराम के पक्ष में ना० नं० 202 दिनांक 5.9.2001 भर दिया गया जो गलत है क्योंकि प्रार्थीगण का शजरा था -

रूपाराम फोत
- बाबूराम (फोत
  - गंगादेवी (पत्नि) फोत
- ओमकारराम प्रार्थी
  - गोविन्दराम
  - 2 घासीराम

उप खण्ड अधिकारी
दाँतारामगढ़

Scanned with CamScanner

अर्पीतान्त के निगरा अनुसार अर्पीतान्त के बड़े भाई बाबूराम की हत्या पर बाबूराम की पत्नि सुभानी देवी तथा सुभानी देवी की हत्या पर विरासत नामान्तरण बाबूराम के नाबालिग पुत्र होने के कारण अर्पीतान्त के नाम दर्ज किया जाना था जिसके स्थान पर गोविन्दराम ने बाबूराम का जोड़ दुत मानकर गलत ढंग से नामान्तरण 202 करा दिया गया जो खारिज किये जाने योग्य है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व ना०सं० 202 का अवलोकन किया। अर्पीतान्त द्वारा वर्णित तथ्यों से सन्तुष्ट होने के पश्चात ग्राम पंचायत किराणा द्वारा स्वीकार किया गया नामान्तरण संख्या 202 दिनांक 5.9.2001 खारिज किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि बाबूराम पुत्र रुपाराम के विधिक वारिसों की जाँच कर/पुनः पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर विधिक वारिसों के पक्ष में नामान्तरण दर्ज करें। पालना हेतु तहसीलदार दांतारामगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो।

जारी

उप खण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

Scanned with CamScanner